उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-03/2016/84/92-2-2016-232आरई/09
लखनऊ :: दिनांक:: 14 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा में प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत रहते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पी0आई0यू0-2, इटावा के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4519/62-3-09/232आरई/2009 दिनांक 05-02-2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-09-2015 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 03/2016/84(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-2, इटावा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0 ,उ0प्र0,लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in